# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

(www.psc.uk.gov.in)

संख्या : 134 / 06 / ई0–3 / ए0पी0एस0 / डी0आर0 / 2022-23  दिनांक :: 05 फरवरी, 2026

## विस्तृत विज्ञप्ति

### अपर निजी सचिव मुख्य (लिखित) परीक्षा–2024

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अपर निजी सचिव परीक्षा–2024 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या– A-1/E-3/DR(APS)/2024 दिनांक 18 जुलाई, 2024 के सापेक्ष प्रथम चरण की परीक्षा के अंतर्गत दिनांक 22.09.2025 से दिनांक 16.10.2025 तक सम्पन्न हिन्दी (अनिवार्य / अर्हकारी) एवं अंग्रेजी (वैकल्पिक / अधिमानी) आशुलेखन परीक्षा का परीक्षा परिणाम विज्ञप्ति संख्याः– 79/26/APS-Shorthand-exam/G-1/2024-25, दिनांक 03 फरवरी, 2026 द्वारा घोषित किया गया है।

2– उक्तांकित आशुलेखन परीक्षा में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन विभागवार वरीयता एवं द्वितीय चरण के अन्तर्गत मुख्य परीक्षा का शुल्क बिन्दु संख्या–03 में अंकित तिथियों के अनुसार भरना सुनिश्चित करें। मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या–15 के क्रम में निरस्त कर दिया जायेगा। उक्तांकित निर्धारित तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों को विभागवार वरीयता / मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा किये जाने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। **प्रश्नगत मुख्य परीक्षा का आयोजन परीक्षा कैलेण्डर के अनुसार निर्धारित तिथि को एकमात्र परीक्षा केन्द्र परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित हैः–**

| परीक्षा तिथि / दिवस | समय | सत्र | विषय |
|---|---|---|---|
| 14 मार्च, 2026 (शनिवार) | पूर्वाह्न 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक। | प्रथम सत्र | सामान्य अध्ययन (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) |
| | अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक। | द्वितीय सत्र | निबंध एवं आलेखन (लिखित / परम्परागत प्रकृति) |

3– द्वितीय चरण के अन्तर्गत मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन किये जाने एवं मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा किये जाने तथा अभिलेख जमा कराये जाने से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैः–

| | | |
|---|---|---|
| i | मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से जमा करने की प्रारम्भ तिथि– | 06.02.2026 (शुक्रवार) |
| ii | मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि– | 20.02.2026 (शुक्रवार) |

| iii | अभ्यर्थियों के समस्त स्वप्रमाणित अभिलेखों की प्रति को आयोग कार्यालय में डाक/व्यक्तिगत माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की अंतिम तिथि | 27.02.2026 (शुक्रवार) सायं 06 बजे तक। |
|---|---|---|

4– अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार तथा अन्य उपश्रेणी के अभ्यर्थी अपने मूल श्रेणी के सापेक्ष निम्नानुसार शुल्क जमा करेंगेः–

| क्र0सं0 (Sr. No.) | श्रेणी (Category) | आवेदन–शुल्क (Application Fees) | प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax) | कुल शुल्क (Total Fees) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अनारक्षित | रु0 200.00 | रु0 22.30 | रु0 222.30 |
| 2 | उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग | रु0 200.00 | रु0 22.30 | रु0 222.30 |
| 3 | उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति | रु0 80.00 | रु0 22.30 | रु0 102.30 |
| 4 | उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | रु0 200.00 | रु0 22.30 | रु0 222.30 |
| 5 | शारीरिक दिव्यांग | कोई शुल्क नहीं | रु0 22.30 | रु0 22.30 |
| 6 | उत्तराखण्ड राज्य मे संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहो में निवासरत अनाथ बच्चे | कोई शुल्क नहीं | कोई शुल्क नहीं | कोई शुल्क नहीं |

**नोट** :– उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड कुशल खिलाडी/उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी व उनके आश्रित जिस वर्ग या श्रेणी, यथा–अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

2. उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या– **1673/XXX(2)/2010,** दिनांक 10 नवम्बर, 2010 एवं शासन के पत्र सं0– **232/XXX(2)/2018/30(05)/2014** दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के क्रम में विज्ञापित पदों के सापेक्ष चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छुट अनुमन्य होगी किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रू 22.30 देय होगा।

5– आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन विभागवार वरीयता एवं मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने वाले समस्त अभ्यर्थी, वेबसाइट पर उपलब्ध चैक लिस्ट के अनुसार प्रपत्र–2, प्रपत्र–3, प्रपत्र–4 को सम्यक रूप से भरते हुए उसके साथ ऑनलाइन विभागवार वरीयता एवं मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने के पश्चात आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र जिसमें विभागवार वरीयता एवं मुख्य परीक्षा के शुल्क का उल्लेख है, को स्वहस्ताक्षरित अभिलेखों यथा–अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों की 01 प्रति सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार कार्यालय में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कोरियर/किसी अन्य माध्यम से अथवा आयोग कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर, निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 27 फरवरी, 2026 समय सायं 6:00 तक जमा कराना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर परीक्षा का नाम, स्वयं का

नाम, अनुक्रमांक, आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का विवरण, पंजीकृत मोबाइल संख्या तथा रजिस्टर्ड ई–मेल का उल्लेख अवश्य अंकित करें।

6– मुख्य परीक्षा शुल्क एवं वरीयता भरे जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये जाने की प्रक्रिया

1. सर्वप्रथम अभ्यर्थी psc.uk.gov.in/ ukpsc.net.in पर जाकर रॉल नम्बर एवं जन्मतिथि का अंकन कर लॉग इन करेंगे।
2. तत्पश्चात अभ्यर्थी प्रदर्शित हो रही विंडो में मुख्य परीक्षा केन्द्र का चयन कर आवेदन पत्र में चयन की गयी श्रेणी अनुसार मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करेंगे।
3. मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने के पश्चात ही विभागवार वरीयता सम्बन्धी पेज प्रदर्शित होगा तत्पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा विभागवार वरीयता का चयन करते हुए प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है।
4. अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के शुल्क प्राप्ति रसीद एंव आवेदन पत्र की प्रति भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

7– वैसे अभ्यर्थीगण जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में उर्ध्व/क्षैतिज, श्रेणी/ उपश्रेणीवार आरक्षण यथा– जाति (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग)/दिव्यांगता/पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड के अनाथ/उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा किया है, के प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् हैः–

**(i) उर्ध्व/क्षैतिज, श्रेणी/ उपश्रेणीवार आरक्षण यथा– जाति (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग)/दिव्यांगता/पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड के अनाथ/उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के** आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र विज्ञापन के शर्तानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 07.08.2024 तक **एवं आतिथि समय–समय पर निर्गत शासनादेश में वर्णित प्राविधानानुसार** सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

**(ii) शासनादेश संख्या**–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, **दिनांक 26.02.2016** के अनुसार लम्बवत् श्रेणी के अंतर्गत ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका ओ0बी0सी0 आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओ हेतु जारी हों **(ध्यातव्य रहे कि भारत सरकार की सेवाओं हेतु निर्गत ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।)** तथा **18 जुलाई, 2021 से 07 अगस्त, 2024** की अवधि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

**(iii)** पूर्व सैनिक क्षैतिज आरक्षण उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी का प्रमाण–पत्र **अधिसूचना सख्या**–133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, **दिनांक 16.03.2009 एवं आतिथि समय–समय पर निर्गत शासनादेश में वर्णित प्राविधानानुसार** विज्ञापन की शर्तानुसार 07 अगस्त, 2024 तक निर्गत होना चाहिए।

**(iv)** शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– **29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019, दिनांक 05.02.2019** के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। अतः लम्बवत् श्रेणी के अंतर्गत **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थीगण का** प्रमाण–पत्र **अधिसूचना संख्या**–64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, **दिनांक 07.03.2019 में वर्णित प्राविधानानुसार वित्तीय वर्ष 2023–2024** की आय गणना के आधार पर **वर्ष 2024–2025** के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 07 अगस्त, 2024 तक निर्गत होना चाहिए।

**(v)** उत्तराखण्ड अनाथ क्षैतिज आरक्षण उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थीगण का प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना सख्या 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019 **दिनांक 17 दिसम्बर, 2019** के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के पत्रांक–415/XXX(2)/2019-30(2)/2019 **दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 एवं आतिथि समय–समय पर निर्गत शासनादेश में वर्णित प्राविधानानुसार** सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार 07 अगस्त, 2024 तक निर्गत होना चाहिए।

**(vi)** स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिये क्षैतिज आरक्षण उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थीगण का प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश सख्या 1244/XXX(2)/2005 **दिनांक 21 मई, 2005 एवं आतिथि समय–समय पर निर्गत शासनादेश** में वर्णित प्राविधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार 07 अगस्त, 2024 तक निर्गत होना चाहिये।

**(vii)** दिव्यांगजन क्षैतिज आरक्षण उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थीगण के प्रमाण–पत्र में दिव्यांगता उपश्रेणी एवं दिव्यांगता प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार 07 अगस्त, 2024 तक निर्गत होना चाहिये।

**(viii)** श्रेणी/उपश्रेणीवार आरक्षण से सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावित श्रेणी/उपश्रेणीवार, उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित स्वप्रमाणित प्रति आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का उद्देश्य, अभिलेख सत्यापन के पूर्व विज्ञापन की शर्तानुसार उनके अभिलेखों की जांच करना है, यदि किसी अभ्यर्थी के अभिलेखों में विसंगति पायी जाती है तो उन्हें पंजीकृत ई–मेल/आयोग की वेबसाईट के माध्यम से सूचना यथाशीघ्र प्रेषित कर दी जायेगी, जिससे कि अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा विसंगतियों का निराकरण किया जा सके।

अतः अभ्यर्थीगण समय–समय पर अपने पंजीकृत ई–मेल/ आयोग की वेबसाईट का अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

-Sd-

(जयवर्धन शर्मा)
प्र0 सचिव